राज्य स्तरीय सपोर्टिव सुपरविजन विजिट आख्या

चित्रकूट मंडल जनपद–. चित्रकूट,बांदा,महोबा एवं हमीरपुर

भ्रमण अवधि– 22 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2025

राज्य स्तरीय टीम

1. श्री विवेक कुमार द्विवेदी, महाप्रबंधक आयुष।
2. श्री प्रभाकर तिवारी, परामर्शदाता, मातृत्व स्वास्थ्य।
3. श्री विकास कुँवर (आडिट ऑफिसर)।

पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गई इकाईयॉ

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – मऊ, ब्लाक मऊ जनपद चित्रकूट।
2. आयुष्मान आरोग्य मंदिर – हटवा, ब्लाक मऊ जनपद चित्रकूट।

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में राज्य स्तरीय टीम सदस्य विवेक कुमार द्विवेदी, महाप्रबंधक आयुष , प्रभाकर तिवारी, परामर्शदाता, मातृत्व स्वास्थ्य एवं श्री विकास कुँवर (आडिट ऑफिसर) द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2025 के मध्य चित्रकूट मंडल के जनपद–. चित्रकूट, बांदा, महोबा एवं हमीरपुर का भ्रमण कर एफ0आर0यू0 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों तथा सामुदायिक गतिविधियों का अवलोकन किया गया साथ ही कार्यक्रमो की वित्तिय एवं भौतिक समीक्षा भी किया गया । भ्रमण के दौरान मण्डलीय अपर निदेषक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट मंडल की अध्यक्षता में मण्डलीय बैठक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारियों, ब्लाक लेखा प्रबंधक, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, ब्लाक सामुदायिक कार्यक्रम प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक एवं जनपद स्तरीय परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य के साथ वित्तिय एवं भौतिक समीक्षा/डिब्रीफिगं किया गया। भ्रमण रिपोर्ट निम्नानुसार है–

मंडल के मंत्र से प्राप्त तृतीय त्रैमास 2024 (अप्रैल से दिसम्बर 2024)तक के रिपोर्ट के ऑकडों के आकलन से स्पष्ट है। जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में **तृतीय त्रैमास 2024 (अप्रैल से दिसम्बर 2024)** के सापेक्ष इस वर्ष संस्थागत प्रसव में घटोत्तरी हुई है ।

DISTRICT	BLOCK	Deliveries 2023-24	Address verified	otp Verified	bio Verified	Deliveries 2024-25	Address verified	otp Verified	bio Verified	Deliveries Decreased
Banda	Baberu	3875	172	0	0	3457	1353	0	0	-418
Banda	Badokhar Khurd	501	49	0	0	437	52	0	0	-64
Banda	Banda DHQ	6176	6	1	0	5866	2649	3	0	-310
Banda	Bisanda	2859	153	0	0	2763	1688	0	0	-96
Banda	Jaspura	1998	217	0	0	1484	1272	0	0	-514
Banda	Kamasin	2643	1	0	0	2515	951	0	0	-128
Banda	Mahuva	1966	67	0	0	2311	851	0	0	345
Banda	Naraini	6384	676	0	0	5379	2272	0	0	-1005
Banda	Tindwari	2167	2	0	0	2426	1260	0	0	259
	Total	**28569**	**1343**	**1**	**0**	**26638**	**12348**	**3**	**0**	**-1931**
Chitrakoot	Chitrakoot DHQ	2889	3	0	0	2860	1390	0	0	-29
Chitrakoot	Karvi (Chitrakoot Dham)	3161	379	0	0	3074	2452	0	0	-87
Chitrakoot	Manikpur	2361	429	0	0	2310	1525	0	0	-51
Chitrakoot	Mau Block	2517	58	0	0	2341	1824	0	0	-176
Chitrakoot	Pahaari	2831	129	0	0	2813	1374	0	0	-18
Chitrakoot	Rama_Nagar	3147	300	0	0	2871	1216	1	0	-276
	Total	**16906**	**1298**	**0**	**0**	**16269**	**9781**	**1**	**0**	**-637**
Hamirpur	Gohand	738	37	0	0	640	373	4	0	-98
Hamirpur	Hamirpur DHQ	2383	85	0	0	2376	1138	0	0	-7
Hamirpur	Kurara	1159	75	0	0	918	249	0	0	-241
Hamirpur	Maudaha	3098	239	0	0	2527	1876	0	0	-571
Hamirpur	Muskara	1858	331	4	0	1676	1565	0	0	-182
Hamirpur	Rath	2891	256	0	0	2324	1656	0	0	-567
Hamirpur	Sarila	987	35	0	0	842	589	0	0	-145
Hamirpur	Sumerpur	3258	333	0	0	2850	2069	1	0	-408
	Total	**16372**	**1391**	**4**	**0**	**14153**	**9515**	**5**	**0**	**-2219**
Mahoba	Charkhari	1535	263	147	0	1291	717	328	0	-244
Mahoba	Jaitpur	1559	100	62	0	1457	265	0	0	-102
Mahoba	Kabrai (Mahoba)	1979	8	1	0	1730	196	0	0	-249
Mahoba	Mahoba DHQ	3687	0	0	0	3006	1	1	0	-681
Mahoba	Panwari	998	41	0	0	1247	236	1	0	249
	Total	**9758**	**412**	**210**	**0**	**8731**	**1415**	**330**	**0**	**-1027**

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – मऊ, ब्लाक मऊ जनपद चित्रकूट

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेवारी
चिकित्सालय परिसरः–		
लेवर रुम एवं भर्ती मरीजों के लिए शौचालय भी गन्दा एवं शौचालय अक्रियाशील हालत में पाया गया। लेवर रुम में शौचालय पूर्णतःअक्रियाशील हालत में पाया गया	उपलब्ध संसाधनों में आवश्यक व्यवस्थायें करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
इकाई की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई को मेंण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
आई0ई0सी0ः–		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 पुरानी व आवश्यकतानुसार प्रदिर्शत नही थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 जनपद स्तर से प्राप्त कर यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
परिसर के अन्दर विभिन्न योजनाओं के प्रचार–प्रसार से सम्बन्धित वॉल पेटिंग नही है।	विभिन्न योजनाओं के अपडेटेड प्रचार–प्रसार से सम्बन्धित वॉल पेटिंग यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मातृत्व स्वास्थ्यः–		
सेवन(सात ट्रे) व्यवस्थित नहीं है एवं डिलवरी लोड के अनुसार डिलवरी ट्रे नही था। प्रकाश की उचित व्यवस्था नही था।	प्रसव कक्ष में मानकानुसार ब्यवस्थायें उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रसव के दौरान इस्तेमाल औजारों को ऑटोक्लेव नही किया जा रहा है।	ऑटोक्लेव ब्यवस्था उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
एच आर पूर्ण होने के बावजूद अप्रैल से दिसम्बर 2024 मात्र 23 सी सेक्षन डिलिवर हुई है एवं रात्री कालीन मात्र 3 सी सेक्षन डिलिवर है।	सी सेक्षन डिलिवर सुनिषचित कराने का सुझाव दिया गया ताकि रेफरल केसेस को कम किया जा सके ।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया।	रेफरल सिस्टम को सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। रेफरल इन व आउट के रिकार्ड रखने की जानकारी दी गई।	सम्बन्धित स्टाफ
मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर एवं ए0एन0सी0 रजिस्टर रेफरल रजिस्टर, भरा नही जा रहा था। आर0सी0एच0नम्बर उपलब्ध न होने के कारण भरे नहीं जा रहा थे।	मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, ए0एन0सी0 रजिस्टर आदि भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
गर्भवती महिलाओं के पास मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0कार्ड)था। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पुराना फॉर्म भरा जा रहा है जिसमें निर्धारित प्रारूप के अनुसार दो कॉपी में लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न नही है। छुट्टी के समय भुगतान से सम्बन्धित लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र किसी भी लाभार्थी को नही दिया जा रहा है। केसशीट उपलब्ध था। दिशा–निर्देश के अनुसार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत मानकानुसार डाइट रजिस्टर का रख रखाव नही किया जा रहा है।	मानकानुसार रिकार्ड भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे नहीं रोका जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 बेडेड है, परन्तु सभी बेड ही संचालन योग्य नहीं है। मौजूदा एच0एम0आई0एस0 की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2024 तक 1675 प्रसव के सापेक्ष 1291(77%) प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई परन्तु प्रसव पंजिका एवं डिस्चार्ज स्लीप एव केसषीट की जॉच में पाया गया प्रसव भार के	सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे तक रोके जाने व समस्त बेड का उपयोग किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित स्टाफ

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
..ुसार 3 से 5 घण्टे ही प्रसुतों को रोका जा पा रहा है।		
बाल स्वास्थ्यः–		
टीका करण कक्ष के बाहर प्रचार–प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था। समस्त फ्रीज कार्य करते हुए पाये गये तथा उनमें वैक्सीन उपयुक्त प्रकार से रखी हुई पाई गई। लागबुक मेण्टेन थीं।	आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्षित किया जाये।	सम्बन्धित स्टाफ
परिवार नियोजन–		
कण्डोम बाक्स नहीं लगा था।	कण्डोम बाक्स लगाने व प्रतिदिन भरने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन फालोअप के रिकार्ड सही प्रकार से मेण्टेन नहीं किये जा रहे हैं। फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन कई जगह नहीं भरा था।	पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन फालोअप का फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रयोगशाला–		
प्रयोगशाला में साफ–सफाई व संक्रमण से बचाव के प्रोटोकाल्स फालो किये जा रहे थे।	सम्बन्धित को साफ–सफाई व संक्रमण से बचाव के प्रोटोकाल्स नियमित रुप से फालो करने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
औषधि, ड्रग स्टोर एवं ई0डी0एल0		
वार्ता के दौरान ज्ञात हुआ कि फार्मासिस्ट ई0डी0एल0 से अनभिज्ञ है।	समस्त फार्मासिस्ट को ई0डी0एल0 उपलब्ध कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	ए0सी0एम0ओं0 स्टोर व चीफ फार्मासिस्ट
ई0डी0एल0 का प्रदर्शन नही किया गया था। सीटीजन चार्टर पुराना लगा हुआ था।	अपडेटेड ई0डी0एल0 का प्रदर्शन प्रतिदिन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
वेयरहाउस में औषधियों की उपलब्धता के बावजूद पासबुक के अनुसार औषधियों को प्राप्त नही किया जा रहा है एवं वितरण नहीं किया जा रहा है	फार्मासिस्ट को वेयरहाउस में औषधियों को इशयू एवं वितरण कराने कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित फार्मासिस्ट

निम्न महत्वपूर्ण समस्या/तथ्य है, जिन्के कारण कार्यक्रमों के संचालन प्रभावित हो रहा है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद का औषधियों वितरण समस्त गर्भवती महिलाओं को नही किया जा रहा है।
- नये मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0 कार्ड) पूर्ण रुप से भरे जायें। विशेषकर बैंक खाता, आधार संख्या, एम0सी0टी0एस0, मोबाईल नम्बर व ए0एन0सी0 जॉच की प्रविष्टि अवश्य की जाए।
- दिशा–निर्देश के अनुसार मातृ मृत्यु समीक्षा एवं उचित तरीके से रिपोर्टिंग किये जाने का अनुरोध किया गया।
- एच0आर0पी0 इंसेंटिव का ससमय भुगतान आशा एवं ए0एन0एम0 किये जाने का अनुरोध किया गया।
- भ्रमण के दौरन पायी गयी जनपद की यथास्थिति से मुख्य चिकिसाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया एवं कमियों को दूर किये जाने हेतु कहा गया।
- जनपद की समस्त स्वास्थ्य इकाईयों एवं प्रसव कक्ष को मानकानुसार तैयार किये जाने एवं समस्त आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।
- जे0एस0वाई0 की उपलब्धि में गिरावट के कारणों को चिन्हित कर उपलब्धि बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया।
- वी.एच.एन.डी. सत्र एवं स्वास्थ्य इकाईयों में जी.डी.एम.एवं एच.आई वी. व सिफलिस की जॉच के प्रति उदाशीनता एवं अन्य कमियों को दूर किये जाने हेतु कहा गया।
- ए.एन.सी. रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, जे0एस0वाई0 भुगतान आदि का इंचार्ज द्वारा नियमित अवलोकन कर त्रुटियों को ठीक कराया जाये। प्रसूताओं को डिस्चार्ज के समय जे0एस0वाई0 भुगतान प्रमाणपत्र प्रदान किया जाये। सभी स्टैण्डर्ड रजिस्टर के सभी कालम भरे जाने का सुझाव दिया गया।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर – हटवा, ब्लाक मऊ जनपद चित्रकूट ।

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
आयुष्मान आरोग्य मंदिर परिसरः–		
मानकानुसार सभी 14 जॉचें नही हो पा रही है	सभी जॉचें कराने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी सी0एच0ओ0

राज्य स्तरीय टीम द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय समीक्षा हेतु चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के समस्त जनपदों में आयोजित एन0एच0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

मिषन निदेषक, एन0एच0एम0, लखनऊ के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2024–25/04/6289–2 दिनांकः 23.12.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्याः अ0नि0/मण्ड0पी0एम0यू0/बांदा/State Visit मण्ड0समीक्षा–बै0/2024–25/50 दिनांक 15.01.2025 कम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कमिटेड में रक्षित धनराषि का ससमय व्यय नहीं किये जाने एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में शून्य व्यय, 75 प्रतिषत से कम व्यय एवं 100 प्रतिषत से अधिक वाले एफ0एम0आर0 कोड की समीक्षा की गयी, जिसका कार्यवृत्त निम्नलिखित हैः–

जनपद स्तरीय वित्तीय समीक्षा–जनपद हमीरपुर (दिनांक 22.01.2025)

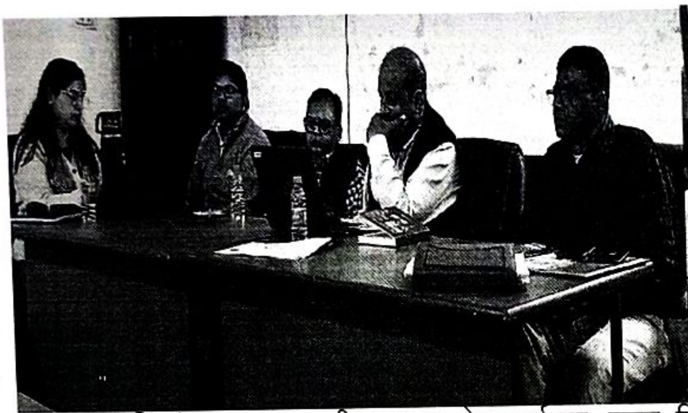

दिनांकः–22 जनवरी, 2025 को कार्यालय–मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार, हमीरपुर में जनपद स्तरीय वित्तीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी, उक्त बैठक में राज्य स्तर से डा0 विवेक कुमार द्विवेदी (महाप्रबन्धक–आयुष), श्री प्रभाकर तिवारी (वित्तीय परामर्शदाता, मातृ स्वास्थ्य), श्री विकास कुँवर (आडिट ऑफिसर), एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ तथा मण्डल स्तर से मण्डलीय टीम (Div. AM, Div. FPLM & OA), जनपद स्तर से डी0एच0/डी0डब्लू0एच0 के प्रतिनिधि, नोडल कार्यक्रम अधिकारी, डी0टी0ओ0, डी0पी0एम0, डी0सी0पी0एम0, डी0ए0एम0, डी0डी0एम0, एन0एच0एम0 के लेखा लिपिक तथा ब्लॉक स्तर से चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी चिकित्साधिकारी, बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0 एवं बी0ए0एम0 आदि उपस्थित रहें। एन0एच0एम0 के अन्तर्गत कमिटेड एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में शून्य व्यय, 75 प्रतिषत से कम व्यय वाले एफ0एम0आर0 कोड की समीक्षा की गयीः–

- I. जिला लेखा प्रबंधक, हमीरपुर को निर्देषित किया गया कि फैम्स के माध्यम से व्यय किये गये कई भुगतान की बुकिंग फैम्स पोर्टल पर लंबित है तथा गलत FMR कोड में बुकिंग की गई है, जिसे तत्काल सही/बुक कराया जाना सुनिष्चित करें।
- II. समीक्षा के दौरान यह पाया कि जनपदों में काफी भुगतान लंबित है, इस हेतु जनपद के सभी चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी चिकित्साधिकारी, बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0 एवं बी0ए0एम0 को निर्देषित किया गया कि समस्त लंबित भुगतान कमिटेड किये गये धनराषि को राज्य स्तर से प्राप्त निर्देषानुसार करना सुनिष्चित करे।
- III. जनपद स्तरीय समस्त सलाहकार प्रत्येक सप्ताह अपने कार्यक्रमों के व्यय की समीक्षा फैम्स पोर्टल से प्राप्त डाटा के अनुसार (आवष्यकतानुसार जिला लेखा प्रबंधक से प्राप्त करते हुये) करना सुनिष्चित करें।
- IV. कमिटेड किये गये षेष धनराषि के व्यय वाले मदों की समीक्षा की गयी।
- V. राज्य स्तरीय अधिकारी द्वारा निर्देषित किया गया कि समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारीं, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक, ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक, ब्लॉक लेखा प्रबन्धक एवं अन्य लेखा लिपिक

को वर्ष 2024—25 के डैप का अवलोकन करते हुए शून्य/कम प्रतिषत वाले मदों में राज्य स्तर से प्राप्त निर्देषानुसार करना सुनिष्चित करे।

vi. समस्त जनपदीय सलाहकार/समन्वयक/प्रबन्धक को निर्देषित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2024—25 में अपनी मदों की गतिविधियों पर व्यय के बिन्दुओं को तैयार कर समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को साझा करना सुनिष्चित करें।

जनपद स्तरीय वित्तीय समीक्षा—जनपद महोबा (दिनांक 23.01.2024)

दिनांकः—23 जनवरी, 2025 को कार्यालय—मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार, महोबा में डा0 आषाराम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोबा की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय वित्तीय समीक्षा सम्पन्न हुयी। बैठक में समस्त कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी, डी0एच0/डी0डब्लू0एच0 के प्रतिनिधि, डी0पी0एम0यू0—टीम, एन0एच0एम0 के लेखा लिपिक, राज्य स्तरीय टीम के सदस्य एवं मण्डलीय टीम सदस्य (Div. AM, Div. FPLM & OA) तथा समस्त ब्लॉक स्तर से चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी चिकित्साधिकारी, बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0 एवं बी0ए0एम0 आदि उपस्थित रहें। राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद में संचालित सभी कार्यक्रमों की ब्लॉक बार गहन समीक्षा की गयी, जिसके अन्तर्गत ब्लॉक में कमिटेड एवं वर्तमान वर्ष के जिन मदों में कम व्यय हुआ है, फैम्स पोर्टल पर बुक नही हो पाया है, फैम्स पोर्टल पर बुकिंग गलत FMR कोड में किया गया उसे शीघ्र सुधार करने हेतु निर्देष दिये गयें।

जनपद स्तरीय वित्तीय समीक्षा—जनपद बाँदा (दिनांक 24.01.2025)

दिनांकः—24 जनवरी, 2025 को कार्यालय —मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार, बांदा में जनपद स्तरीय वित्तीय समीक्षा सम्पन्न हुयी। बैठक में समस्त कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी, डी0एच0/डी0डब्लू0एच0 के प्रतिनिधि, डी0पी0एम0यू0—टीम, राज्य स्तरीय 3 सदस्यीय टीम एवं मण्डलीय स्तरीय टीम (Div. AM, Div. FPLM & OA) समीक्षा बैठक में उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद में संचालित सभी कार्यक्रमों की ब्लॉक बार समीक्षा की गयी, जिसके अन्तर्गत ब्लॉक में कमिटेड एवं वर्तमान वर्ष के जिन मदों में कम व्यय हुआ है अथवा फैम्स पोर्टल पर बुक नही हो पाया है, जिन मदों में अब तक व्यय शून्य है, जिसे राज्य स्तर से प्राप्त निर्देषानुसार पूर्ण करने हेतु निर्देषित किया गया।

जनपद स्तरीय वित्तीय समीक्षा—जनपद चित्रकूट (दिनांक 25.01.2024)

दिनांकः—25जनवरी, 2025 को कार्यालय—मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार, चित्रकूट में जनपद स्तरीय वित्तीय समीक्षा सम्पन्न हुयी। बैठक में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी—आर0सी0एच0 द्वारा राज्य स्तरीय टीम के सभी सदस्यों के साथ बैठक प्रारम्भ किया गया। राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद में संचालित सभी कार्यक्रमों की ब्लॉक बार गहन समीक्षा की गयी, जिसके अन्तर्गत ब्लॉक में जिन मदों में कम व्यय हुआ है, फैम्स पोर्टल पर बुक नही हो पाया है, फैम्स पोर्टल पर बुकिंग गलत FMR कोड में किया गया उसे शीघ्र सुधार करने हेतु निर्देश दिये गयें। जिन मदों में अब तक व्यय शून्य है, जिसे राज्य स्तर से प्राप्त निर्देषानुसार पूर्ण करने हेतु निर्देषित किया गया।

राज्य स्तरीय टीम द्वारा देय अन्य निर्देशः—

I. वित्तीय वर्ष 2024—25 मे संस्थागत प्रसव मे गिरावट हुयी है। समस्त जनपदो को डिलिवरी प्वांट वाइज सभी केन्द्रो की समीक्षा करें।

II. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अर्न्तगत गर्भवती माताओं की अधिक से अधिक ए0एन0सी0 चेकअप कराया जाये तथा राजकीय स्वास्थ्य इकाई पर अल्ट्रासाउन्ड की सुविधा उपलब्ध नही है तो इंम्पैनल निजी केन्द्र पर ई रूपी वाउचर के माध्यम से निःशुल्क अल्ट्रासाउन्ड कराने के निर्देष दिये गये। समस्त जनपदो को ई रूपी वाउचर जनरेशन एवं रिडिम्पशन बढानें के निर्देष दिये गये जिससे गर्भवती माताओं को लाभ मिल सके। चिन्हित सभी एच0आर0पी0 की लाइन लिस्टिंग की जाय एवं निंरतर फालोअप किया जाये तथा लाभार्थी को एवं आषा को फालोअप विजिट की राषि 100 रू प्रति विजिट के अनुसार भुगतान करने के निर्देष दिये गये।

III. वित्तीय समीक्षा के अर्न्तगत कमिटेड की गई धनराषि को जनपदों द्वारा व्यय कम किया गया हैं।

IV. समस्त जनपदो को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अधिक व्यय एफ0एम0आर0 कोड की जानकारी दी गई तथा निर्देश दिया गया कि उक्त एफ0एम0आर0 कोड पर यदि फीडिंग गलत है तो उसको सुधार कर लिया जाये।

V. समस्त जिला लेखा प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि फैम्स के माध्यम से व्यय किये गये कई भुगतान की बुकिंग फैम्स पोर्टल पर लंबित है, जिसे तत्काल बुक कराया जाना सुनिष्चित करें।

VI. जनपद के समस्त कार्यक्रम प्रबंधक/सलाहकार प्रत्येक सप्ताह अपने कार्यक्रमों के व्यय की समीक्षा फैम्स पोर्टल से प्राप्त डाटा के अनुसार (आवश्यकतानुसार जिला लेखा प्रबंधक से प्राप्त करते हुये) करना सुनिष्चित करें।

VII. राज्य स्तरीय टीम द्वारा शून्य मदों वाले FMR कोड में व्यय अधिक से अधिक पूर्ण कराने हेतु निर्देषित किया गया।

VIII. राज्य स्तर के आडिट डिवीजन द्वारा जे0एस0वाई0 की सूचना पत्र के साथ प्रेषित कर यह अवगत कराया गया था कि वर्तमान में जे0एस0वाई0 के लाभार्थीयों को दो या दो से अधिक बार भुगतान किया गया है, उसकी जॉच कर जो भुगतानों में त्रुटि हुई है, उसे सुधार करते हुये राज्य के वित्तीय अनुभाग को की गई कृत—कार्यवाही की सूचना तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये। इसपर समस्त जिला लेखा प्रबन्धकों द्वारा अवगत कराया गया की संबंधित ब्लॉकों एवं अन्य इकाईयों को सूचना प्रेषित कर जे0एस0वाई0 के लाभार्थीयों को दो या दो से अधिक बार भुगतान किया गया है, इसकी जॉच कर जनपद को सूचना शीघ्र उपलब्ध कराये, जिससे की उक्त की आख्या राज्य के वित्तीय अनुभाग को तत्काल प्रेषित की जा सके।

IX. जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों के भुगतान एक से अधिक बार हुये है, जिसकी ब्लॉक स्तर पर समीक्षा करते हुये नियमानुसार मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समस्त अधिकारियों/प्रबन्धक/सलाहकार को निर्देशित किया गया कि अपने—अपने जनपद के व्यय को राज्य से प्राप्त वित्तीय दिषा निर्देष के अनुरूप व्यय करते हुये शीघ्र फैम्स पोर्टल पर बुकिंग कराना सुनिश्चित करें।

<u>राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिये गये दिशा—निर्देश एवं भ्रमण रिपोर्ट :—</u>

1. मण्डल के समस्त जनपद में जे०एस०वाई० लाभार्थियों को एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार भुगतान किये जाने के प्रकरण संज्ञान में आये हैं। जननी सुरक्षा योजना कार्यकम के अन्तर्गत जनपद बांदा में 1044, हमीरपुर में 480 चित्रकूट में 320 तथा महोबा में 328 लाभार्थियों के भुगतान वर्ष 2023—24 के दौरान एक से अधिक बार हुये है। जे०एस०वाई० लाभार्थियों को किये गये भुगतान की गहन जाँच कराकर तत्काल अनियमित भुगतान की गयी धनराशि की रिकवरी कराते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय को प्रेषित करें। जनपद द्वारा कृत कार्यवाही रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
2. एफ०ए०एम०एस० एवं पी०एम०एफ०एस० पर व्यय के अन्तर को कम किया जायैं

3. FAMS पर unapproved वाउचर, यदि कोई हो, approved कर दिया जाये।
4. मानदेय की बुकिंग और आशा प्रोत्साहन और अन्य नियमित खर्चों का भुगतान ससमय किया जाये।
5. UC प्राप्त कर व्यय की बुकिंग तत्काल की जाये।
6. वित्तीय वर्ष 2020–21, 21–22 एवं 22–23 हेतु कांकरेन्ट आडिटर द्वारा उठाई गई आपत्तियों की अनुपालन आख्या को किसी भी जनपद द्वारा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय में जमा नहीं कराया गया है, जोकि जनपद स्तर से की जा रही लापरवाही को परिलक्षित करता है।
7. मण्डल के समस्त जनपद द्वारा सभी बाउचर, बिल को कमानुसार नहीं रखा जा रहा है।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी– समस्त जनपद को कमिटेड किये गये अवशेष धनराशि के व्यय वाले मदों की समीक्षा की गयी एवं नियमानुसार शीघ्र भुगतान कराने हेतु निर्देष दिये गयें।

जनपद हमीरपुर

I). मंडलीय भ्रमण हेतु उपलब्ध करायी गयी चेक लिस्ट के बिन्दु संख्या 5 के क्रम में 10 लाख से अधिक की निविदाओं में कार्यादेश जारी होने से पूर्व सम्प्रेक्षा करायी गयी है या नहीं? :– जिला महिला चिकित्सालय, जनपद हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जे०एस०एस०के० डाइट की निविदा का कान्करेंट ऑडिटर से परीक्षण कराये बिना ही कार्यादेश जारी किया गया है, जोकि प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन/अध्यक्ष राज्य आडिट कमेटी महोदय के पत्र संख्या एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/का.आडिट/2019–20 /412/6111 दिनांक 16.10.2019 के द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना है।

❖ **जिला महिला चिकित्सालय, जनपद हमीरपुर द्वारा जे०एस०एस०के० डाइट (Bid No-GEM/2023/B/3730231) की निविदा में फर्म चयन में की गयी वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में :– निविदा में तकनीकी रूप से योग्य 3 फर्म की बिड प्रपत्र का परीक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी है** :–
उक्त बिड में M/s मोहम्मद इस्माइल का चयन किया गया, जबकि उक्त फर्म निम्नलिखित कारणों से तकनीकी रूप से अयोग्य है :–

i. इस बिड में मो० इस्माइल ठेकेदार एवं मो० फिरोज दो एल–1 फर्म है। दोनों ही पिता एवं पुत्र की फर्म है।
ii. M/s मोहम्मद इस्माइल ठेकेदार द्वारा अपलोड किये गये टर्नओवर प्रमाणपत्र पर गलत यू०डी०आई०एन० अंकित किया गया है एवं यह टर्नओवर आई०सी०ए०आई० के पोर्टल **https://udin.icai.org/search-document-details** पर सत्यापित नहीं की जा पा रही है।
iii. M/s मोहम्मद इस्माइल ठेकेदार द्वारा अपलोड किये गये वित्तीय विवरणों पर फर्म एवं सी०ए० के हस्ताक्षर नहीं किये गये थे वित्तीय विवरणों पर यूडीआईएन अंकित नहीं किया गया था।
iv. M/s मोहम्मद इस्माइल ठेकेदार द्वारा उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र को अपलोड नहीं किया गया था (ए०टी०सी० के अनुसार अनिवार्य शर्त थी)।
v. **श्रम पंजीकरण निर्माण कार्य के लिए है जबकि बिडर द्वारा डाइट सप्लाई का कार्य किया जा रहा है**
vi. M/s मोहम्मद इस्माइल ठेकेदार द्वारा अपलोड किये गये कार्य आदेशों पर Value अंकित नहीं किया गया है।
vii. कार्य आदेशों पर Value के अभाव में Past performance की शर्त को पूरा किया गया है या नहीं टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

viii. M/s मोहम्मद इस्माइल ठेकेदार द्वारा अपलोड किये गये आई०एस०ओ० 9001:2015 का रिकॉर्ड वेबसाइट पर नहीं मिला। जिससे इनके Fake होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ix. M/s मोहम्मद इस्माइल ठेकेदार द्वारा अपलोड किये गये आई०एस०ओ० 10667–2:2011 का रिकॉर्ड वेबसाइट पर नहीं मिला। जिससे इनके Fake होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

x. टोल फ्री नंबर एवं सेवा केंद्र का विवरण प्रदान नहीं किया गया।

M/s मोहम्मद फिरोज का तकनीकी रूप से चयन किया गया, जबकि उक्त फर्म निम्नलिखित कारणों से तकनीकी रूप से अयोग्य है :–

(i)- M/s मो० फिरोज द्वारा अपलोड किये गये वित्तीय विवरणों पर फर्म एवं सी०ए० के हस्ताक्षर नहीं किये गये थे वित्तीय विवरणों पर यूडीआईएन अंकित नहीं किया गया था।

(ii)- M/s मोहम्मद फिरोज द्वारा उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र को अपलोड नहीं किया गया था (ए०टी०सी० के अनुसार अनिवार्य शर्त थी)।

(iii)- **श्रम पंजीकरण निर्माण कार्य के लिए है जबकि बिडर द्वारा डाइट सप्लाई का कार्य किया जा रहा** है।

(iv)- M/s मोहम्मद फिरोज ठेकेदार द्वारा अपलोड किये गये कार्य आदेशों पर Value अंकित नहीं किया गया है।

(v)- कार्य आदेशों पर Value के अभाव में Past performance की शर्त को पूरा किया गया है या नहीं टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(vi)- M/s मोहम्मद फिरोज द्वारा अपलोड किये गये आई०एस०ओ० 9001:2015 का रिकॉर्ड वेबसाइट पर नहीं मिला। जिससे इनके Fake होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(vii)- M/s मोहम्मद फिरोज द्वारा अपलोड किये गये आई०एस०ओ० 10667–2:2011 का रिकॉर्ड वेबसाइट पर नहीं मिला। जिससे इनके Fake होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(viii)- टोल फ्री नंबर एवं सेवा केंद्र का विवरण प्रदान नहीं किया गया।

उ०प्र० प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2016 के Chapter - 18 Code Of Integrity For Procuring Entities And Bidders के बिन्दु संख्या – 18.2 में बिडिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्यों को मना किया गया है "any collusion, bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;"

'Collusive Practice' means an arrangement between two or more parties designed to achieve an improper purpose, including influencing improperly the actions of another party result in bids at **artificial prices that are not competitive.**

जिला महिला चिकित्सालय, जनपद हमीरपुर द्वारा जे०एस०एस०के० डाइट (Bid No-GEM/2023/B/3730231) की निविदा में शर्त **''निविदादाता द्वारा भोजन कि गुणवत्ता बनाये रखते हुए खने के दृष्टिगत रू–130 या उससे अधिक कि निविदा ही स्वीकृत की जायेगी।''** को रखा गया था, जबकि राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों में इस प्रकार की शर्त का उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि फर्म तकनीकी रूप से अयोग्य होने के बाद भी चयनित की गयी थी। प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन/अध्यक्ष राज्य आडिट कमेटी महोदय के पत्र संख्या एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/का.आडिट/2019–20/412/6111 दिनांक 16.10. 2019 के द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

II). **जनपद हमीरपुर मे टी०बी० प्रोग्राम के अन्तर्गत चलाये गये वाहनों का विवरण** :– जनपद हमीरपुर में टी०बी० कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत चार पहिया वाहनों द्वारा अधिकारी/ कर्मचारियों के सुपरवीजन एवं मॉनीटरिंग का कार्य किया गया है। वाहनों में डीजल भरवाने के बिल मे० राजेश्वरी ट्रेडर्स आनूपुर मोड़, हमीरपुर रोड़ कानपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिनांक 30.03. 2024 को धनराशि रू0 239145/– के क्रम में उक्त फर्म को कमिटेड बजट से रू0 239145/– का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान बिना किसी सपोर्टिंग प्रपत्र के किये गया है। **भुगतान के साथ न तो लाग बुक संलग्न थी न ही कोई भ्रमण रिपोर्ट संलग्न थी, जिससे ज्ञात हो सके की वाहन से किस अधिकारी द्वारा भ्रमण किया गया है तथा भ्रमण कहाँ से कहाँ तक किया गया। इस परिस्थिति में अधिक भुगतान किये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित वाहनों में डीजल/पैट्रोल डलवाया गया है, वाहन किसको आबंटित था एवं किस व्यक्ति ने फ्यूल डलवाया था, इसका विवरण पत्रावली में इंगित नहीं था। बिना सपोर्टिंग प्रपत्र के किये गये भुगतान में वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वाहन का विवरण निम्नवत है :–**

S.No.	Vehicle No.	Vehicle Class
1	UP32BG3721	Motor Car(LMV)
2	UP91G0016	Motor Car(LMV)
3	UP32BG8503	Motor Car(LMV)
4	UP32BG6723	Motor Car(LMV)
5	UP91G0115	M-Cycle/Scooter(2WN)
6	UP91G0135	M-Cycle/Scooter(2WN)
7	UP91G0126	M-Cycle/Scooter(2WN)

जनपद बाँदा

जनपद बाँदा मे टी०बी० प्रोग्राम के अन्तर्गत चलाये गये वाहनों का विवरण :– जनपद बाँदा में टी०बी० कार्यक्रम के अन्तर्गत जे०सी०बी० में पैट्रोल/डीजल डलवाया गया है, जोकि गंभीर वित्तीय अनियमितता है तथा मोटर साईकिल में एक बार में 42 लीटर डीजल डलवाया गया था जोकि संभव ही नहीं है, मोटर साईकिल की फ्यूल क्षमता लगभग 12 लीटर की है। विवरण निम्नवत है :–

S.No.	Vehicle No.	Vehicle Class	Vechicle Type	Date	Fuel
1	UP90R2138	M-Cycle/Scooter(2WN)	Hero Glamour Drum Self Cast	09.11.2022	42
2	UP90T1868	Earth Moving Equipment	JCB INDIA LTD, 430Z LOADING SHOVEL	28.06.2021	55

जनपद– महोबा

1. **स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उच्चीकृत किये जाने की निविदा में फर्म चयन में की गयी वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में** :– मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उच्चीकृत किये जाने के लिए बृजलाल ठेकेदार के साथ किये गये अनुबंध को नवीनीकृत किया गया। बृजलाल ठेकेदार के चयन में निम्नलिखित अनियमितताए पायी गयी :–

(i). मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद महोबा द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा पत्र संख्या 2015–18/17फ/नि०नि०अ०/2014–15 दिनांक 17.03.2015 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिए जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है।

(ii). दिनांक 21.12.2023 को समिति द्वारा गहन विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से 23 उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर बनाने हेतु स्वास्थ्य विभाग को निर्माण इकाई के रूप में चयन किया गया। स्वास्थ्य उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में उच्चीकृत किये जाने में एक अतिरिक्त कक्ष (लैब कार्नर व शौचालय सहित) सेप्टिक टैंक व सोकपिट का कार्य कराया हेतु प्रति एच०डब्लू०सी० हेतु रू0 5.97 लाख लागत में कराया जाना है।

(iii). मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा द्वारा उक्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के निर्माण हेतु टेंडर के माध्यम से चयन न करके स्टेट बजट के अन्तर्गत ई–टेंडर आई०डी० 2022_DGMH_710195_1 के माध्यम से निर्माण कार्य हेतु चयनित फर्म ब्रजलाल ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया गया। उक्त टेंडर से सम्बंधित प्रपत्र को परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। ई–टेंडर की वेबसाईट पर अपलोड किये गये तकनीकी एवं वित्तीय मिनट्स का परीक्षण करने पर संज्ञान में आया की दो फर्म तकनीकी रूप से योग्य पायी गयी थी। ई–टेंडर की वेबसाईट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय बिड डाली गयी थी :–

BOQ Summary Details
Tender Title: CIVIL WORK
Tender ID: 2022_DGMH_710195_1

Sheet Name	Sl.No	Bidder Name	Amount	Bid Rank
BoQ1	1	BRAJLAL THEKEDAR	1.00	L1
	2	SHARDA INFRASTRUCTURE	198000.00	L2

उपरोक्त विवरण के अनुसार ब्रजलाल ठेकेदार द्वारा सिविल कार्य हेतु कुल धनराशि रु० 1 कोट की गयी थी, जोकि उचित प्रतीत नहीं हो रही है। किसी फर्म द्वारा रु० 1 कोट किये जाने पर उस फर्म को करोंड़ों रुपए की धनराशि का कार्य आबंटित किया जाना वित्तीय अनियमितता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में सुरक्षित प्रसव को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत, स्वास्थ्य सेवा केंद्र में प्रत्येक प्रसव के बाद महिलाएं रु 1400 की पात्र हैं। जे0एस0वाई0 में लाभार्थियों को कम समय अन्तराल पर दो बार भुगतान करना तथा ब्रजलाल ठेकेदार द्वारा रु० 1 कोट किये जाने पर उस फर्म को करोंड़ों रुपए की धनराशि का कार्य आबंटित किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। विगत भ्रमण रिपोर्ट में भी मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद महोबा को इन तथ्यों से अवगत करवाया गया था, परन्तु इसके बावजूद उनके द्वारा उपरोक्त की अनुपालन आख्या राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है प्रकरण संज्ञान में आने के बावजूद उक्त फर्म को पुनः भुगतान करके वित्तीय अनियमितता की जा रही है।

निष्कर्ष :– पूर्व भ्रमण में रिपोर्ट किया गया था कि जनपद बाँदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर में जे0एस0वाई0 लाभार्थी को वित्तीय वर्ष 2023–24 में एक से अधिक बार भुगतान करने से रु० 24,81,800.00 के भुगतान किया गया है, परन्तु पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इसकी कृत कार्यवाही रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिला महिला चिकित्सालय, जनपद हमीरपुर द्वारा जे०एस०एस०के० डाइट (Bid No- GEM/2023/B/3730231) की निविदा में अयोग्य फर्म का चयन किया गया है एवं शर्त **"निविदादाता द्वारा भोजन कि गुणवत्ता बनाये रखते हुए खने के दृष्टिगत रू–130 या उससे अधिक कि निविदा ही स्वीकृत की जायेगी।"** को रखा गया था, जबकि राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों में इस प्रकार की शर्त का उल्लेख नहीं है। निविदा का कान्करेंट ऑडिटर से परीक्षण कराये बिना ही कार्यादेश जारी किया गया है, जोकि प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन/अध्यक्ष राज्य आडिट कमेटी महोदय के पत्र संख्या एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/का.आडिट/2019–20 /412/6111 दिनांक 16.10.2019 के द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना है। जनपद हमीरपुर में वाहन में बिना किसी सपोर्टिंग प्रपत्र एवं गाइडलाइन का उल्लेख किये बिना भुगतान किया गया है तथा जनपद बाँदा में टी०बी० कार्यक्रम के अन्तर्गत जे०सी०बी० में पैट्रोल/डीजल डलवाया गया है, जोकि गंभीर वित्तीय अनियमितता है तथा मोटर साईकिल में एक बार में 42 लीटर डीजल डलवाया गया था मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उच्चीकृत किये जाने के लिए बृजलाल ठेकेदार के साथ किये गये अनुबंध को नवीनीकृत किया गया। ब्रजलाल ठेकेदार द्वारा सिविल कार्य हेतु कुल धनराशि रु० 1 कोट की गयी थी, जोकि उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। किसी फर्म द्वारा रु० 1 कोट किये जाने पर उस फर्म को करोंड़ों रुपए की धनराशि का कार्य आबंटित किया जाना वित्तीय अनियमितता है। विगत भ्रमण रिपोर्ट में भी मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद महोबा को इन तथ्यों से अवगत करवाया गया था, परन्तु इसके बावजूद उनके द्वारा उपरोक्त की अनुपालन आख्या राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है प्रकरण संज्ञान में आने के बावजूद उक्त फर्म को पुनः भुगतान करके वित्तीय अनियमितता की जा रही है।

श्री विकास कुँवर (ऑफिसर आडिट)	श्री प्रभाकर तिवारी, परामर्शदाता, मातृत्व स्वास्थ्य	श्री विवेक कुमार द्विवेदी, महाप्रबंधक आयुष